

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2023—आषाढ़ 13, शक 1945

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2023

क्र. 1495-1124567-2023-ई-चार.—विभागीय आदेश दिनांक 09 मार्च, 2023 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा विनियम, 1961 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो का आयोजन दिनांक 05 जून, 2023 से दिनांक 09 जून, 2023 तक किये जाने हेतु अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 09 मार्च, 2023 को प्रकाशित कराई गई थी.

2. राज्य शासन द्वारा उक्त जारी आदेश/अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो, दिनांक 05 जून, 2023 से दिनांक 09 जून, 2023 के स्थान पर दिनांक 21 अगस्त, 2023 से दिनांक 25 अगस्त, 2023 तक आयोजित की जावेगी.

3. उक्त परीक्षा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई, 1961 में निहित दिशा-निर्देशों के अधीन आयोजित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर संचिव.